

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 अप्रैल 2017

विषय:- जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

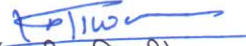
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/06/108/2016/एफसी/525, दिनांक 22-2-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2007/11सी/एफपी/यूपी/रोड/20685/2016, दिनांक 27-3-2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27-3-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित सूचनायें/अभिलेखों (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव।

संख्या-632(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।